भारतीय समाज में महिला सशक्तिकरण एवं आरक्षण नीति

अमित कुमार जायसवाल[1]; प्रो0 (डा0) मयानन्द उपाध्याय[2]

[1]शोध छात्र, शिक्षाशास्त्र विभाग, राजा श्रीकृष्ण दत्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जौनपुर

[2]विभागाध्यक्ष– शिक्षाशास्त्र विभाग राजा श्रीकृष्ण दत्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जौनपुर

Corresponding Author Email: tannujnp111@gmail.com

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज को पूर्ण विकसित बनाने में स्त्री एवं पुरुष दोनों का योगदान होता है। स्त्री एवं पुरुष जीवन–रूपी रथ के दो पहिए हैं। दोनों के सहयोग के बिना व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र का विकास सम्भव नहीं है किन्तु आज भारतीय समाज में जब हम महिला सशक्तिकरण के विषय में सोचते है तो इस पुरुष प्रधान समाज में स्त्री को द्वितीय श्रेणी में रखने की मानसिकता दिखाई देती है। जहाँ तक स्त्री एवं पुरूष का प्रश्न है दोनों ही एक दूसरे के पूरक होते हैं, अतः स्त्री शिक्षा समाज को सही दिशा देने के लिए उतनी ही आवश्यक है जितना पुरुष की शिक्षा। एक शिक्षित पुरुष केवल स्वयं शिक्षित होता है जबकि एक स्त्री दो परिवारों को शिक्षित करती है। बालक की शिक्षा का प्रारम्भ भी माता की गोद से ही होता हैं। कहा भी गया है कि माता बच्चे की प्रथम शिक्षिका होती है। किसी भी समाज अथवा राष्ट्र में स्त्री–पुरुष दोनों की शिक्षा का बड़ा महत्व होता है। शिक्षा के अभाव में व्यक्ति, समाज अथवा राष्ट्र किसी का भी विकास नहीं हो सकता। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है अतः समाज में शिक्षा का सर्वाधिक महत्व होता है। राष्ट्र के विकास के सन्दर्भ में नेपोलियन ने कहा है, **"तुम मुझे एक शिक्षित नारी दो तो मैं तुम्हें अच्छा राष्ट्र दूँगा।"**

वर्तमान समय में जीवन संग्राम में इतनी कठिनाइयाँ बढ़ती जा रही है कि 80% महिलाएँ परिवार को आर्थिक सहायता देने के लिए अर्थोपार्जन करने लगी हैं।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय स्त्रियों की स्थिति में जो कुछ भी परिवर्तन आए हैं वे मात्र नगरीय समाज तक ही सिमट कर रह गए हैं जबकि ग्रामीण महिलाओं की स्थिति में कोई अपेक्षित परिवर्तन आज भी दृष्टिगोचर नहीं होते । जहाँ तक महिलाओं की स्वायत्तता और उनके सशक्तिकरण का प्रश्न है तो वह इस बात पर निर्भर करता हैं कि आर्थिक भागीदारी और संसाधनों तक उनकी पहुँच कितनी है तथा समाज में उनकी स्थिति कैसी है।

वर्तमान में दुनिया भर के संसदों में मात्र 11-7% महिला प्रतिनिधि हैं। भारत में भी संसद और विधान सभाओं में महिलाओं की सदस्यता 10% के आस–पास ही है। और 337 सीटों पर महिलाओं के आरक्षण का बिल अभी भी लंबित है।

भारतीय आरक्षण में पिछड़ी और दलित महिलाओं के आरक्षण की माँग ने महिलाओं में भी जातियों की पहचान पर सवाल खड़ा कर दिया है। सदियों से पुरुषों की लिंग भेदी मानसिकता ने स्त्रियों को समान नागरिक समझने की उदारता व्यवहारतया नहीं दिखाई है। घर, समाज और सार्वजनिक जीवन में स्त्री अपने अधिकारों की माँग पुरुषों से करती रही है।

प्रसिद्ध साहित्यकार **विष्णु प्रभाकर** के शब्दों में – **"मैनें निरन्तर अनुभव किया है कि किसी भी काल में, किसी भी समाज में नारी को समानता का दर्जा नहीं मिला।"**

आजादी के पश्चात महिला एवं पुरुष को संवैधानिक समानता का दर्जा दिए जाने से महिलाओं के विकास से सम्बन्धित अनेक योजनाएँ तथा कार्यक्रम चलाये गए। जिसके कारण आज वर्तमान में परिस्थितियाँ कुछ बदली हुई है। आज भी शिक्षित तथा स्वावलम्बी नारी समाज के हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बराबर भागीदारी निभा रही हैं। वे आज घर की चहारदीवारी के अन्दर घुटकर भाग्य के भरोसे नहीं बैठीं है और ना ही यंत्रवत कार्य करने वाली कठपुतली मात्र हैं वरन के अज्ञानता के आवरण से निकलकर ज्ञान के आलोक में परिपूर्ण हो चुकी है और पुरुष प्रधान समाज में प्रतिस्पर्धा हेतु तत्पर खड़ी है।

देश की नवीनतम जनगणना (2011) के अनुसार जहाँ कुल आबादी 121-02 करोड़ आंकी गई है वहीं इसमें महिलाओं की संख्या लगभग 58-65 करोड़ आकलित की गयी है। साक्षरता के कुल 74-36% भाग में महिलाओं की साक्षरता दर आजादी के समय में 8-9% से बढ़कर वर्तमान में 65-46% तक जा पहुंची है। इस प्रकार राष्ट्र विकास के महान कार्य में महिलाओं की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़े बिना किसी समाज, देश अथवा राष्ट्र के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए दुनिया में विकास का एक आयाम महिला सशक्तिकरण को माना गया है। महिला सशक्तिकरण से आशय मात्र पुरुषों की बराबरी करना न होकर महिलाओं को सशक्त करके आत्मनिर्भर बनाने से है। जिससे वे आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक प्रत्येक क्षेत्र में सशक्त रूप से भागीदारी निभा सकें। महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार द्वारा उठाये गये कदमों का ही परिणाम है कि आज महिलाएँ हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। सत्ता के सर्वोच्च शिखर से लेकर आम जनजीवन में महिलाएँ अपने संघर्ष के बल पर अपनी क्षमता दिखा रही है जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, संचार, उद्योग, कानून, मनोरंजन, प्रशासन एवं अन्य सभी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी देखने को मिल रही है।

भारत का संविधान सभी भारतीय महिलाओं को समान अधिकार (अनु0 14), राज्य द्वारा भेदभाव का निषेध अनु0 151(1), अवसरों की समानता (अनु0 16), समान कार्य के लिए समान वेतन अनु0 39(4), की गारण्टी देता है। इसके अलावा महिलाओं और बच्चों के हित में राज्य द्वारा विशेष प्रावधान बनाये जाने की अनुमति देता है अनु0 15(3), महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का परित्याग करने हेतु अनु0 15(1)(E), तथा काम की उचित एवं मानवीय परिस्थितियाँ बनाने तथा प्रसूती सहायता के लिए राज्य को प्रावधान बनाने की अनुमति

देता है (अनु0 42), महिलाओं के लिए वरदान कहे जाने वाले संविधान के 73वें एवं 74वें संवैधानिक संशोधनों के द्वारा 1993 में पंचायतों तथा नगर निगमों में महिलाओं के लिए 33ः सीटें आरक्षित की गयी। इससे महिलायें राजनीतिक रूप से सशक्त हुई तथा स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की गयी। वर्तमान में 33% आरक्षण की व्यवस्था 50% तक किये जाने के प्रयासों में तेजी लाई जा रही है। उपयुक्त संवैधानिक आरक्षण प्रावधानों से महिला सशक्तिकरण में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गयी है। किन्तु सिर्फ आरक्षण लागू कर देने भर से ही महिला सशक्तिकरण नहीं हो पायेगा बल्कि सही मायने में ये तो तब कहलायेगा जब महिलायें पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक अधिकारों से सम्पन्न होंगी।

(वर्ष 2012) में थॉमसन रायटर्स सर्वे द्वारा दुनिया के सबसे अमीर G–20 के देशों में महिलाओं की स्थिति तथा उनकी सुरक्षा को आधार बनाकर एक सूची जारी की गयी जिसमें भारत को सबसे निचले पायदान पर रखा गया इसमें खराब हेल्थ सर्विसेज, हिंसा, राजनीति में भागीदारी, शिक्षा, रोजगार प्रॉपर्टी – लैण्ड राइटर्स तक पहुँच बाल विवाह, दहेज, घरेलू हिंसा, कन्या भ्रूण हत्या जैसी समस्याओं को आधार बनाया गया है जो आधुनिक भारत में महिलाओं की बदतर स्थिति को उजागर करती है अतः स्पष्ट है कि महिलाओं को अभी भी राष्ट्रीय विकास के साथ–साथ अपने विकास के लिए प्रयास करने हैं।

I. इन्टरनेशनल रिपब्लिकन इन्स्टीट्यूट

(International Republican Institute)

प्त्प्प् गैर लाभकारी और निष्पक्ष संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1983 में हुई। प्त्प्प् का उद्देश्य मुद्दों पर आधारित राजनीतिक दलों सक्रिय नागरिकों और पारदर्शी सरकारी संस्थाओं तथा उत्तरदायी सरकारी अधिकारियों के मदद के जरिए दुनिया भर में आजादी और लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। आज हमारे काम का एक अहम पहलू महिलाओं की राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी को बढ़ाना है। प्त्प्प् ने पिछले 30 वर्षों के दौरान दुनिया भर में महिलाओं को प्रशिक्षित करने का काम किया है। वर्ष 2006 में **विमेन्स डेमोक्रेसी नेटवर्क** संगठन की शुरुआत की जो राजनीति में नेतृत्व तथा सार्वजनिक पदों पर महिलाओं की मौजूदगी बढ़ाने के लिए कार्यक्रम संचालित कर रहा है। यह संगठन वर्तमान समय में 61 देशों में सक्रिय है।

II. महिला आरक्षण विधेयक

15वीं लोकसभा ने कई मायनों में इतिहास रचा है। महिला सशक्तिकरण अब राजनीतिक गलियारों का मुद्दा नहीं बल्कि 15वीं लोकसभा की हकीकत है यह पहला मौका है जब संसद में प्रवेश करने वाली महिलाओं की संख्या 50 से अधिक है यही नहीं सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के इतिहास में पहली बार एक महिला को लोकसभा अध्यक्ष बनने का मौका मिला। संसद में महिला आरक्षण पर प्रश्न प्रत्येक व्यक्ति की चर्चा का विषय है। संसद और विधान मंडलों में महिलाओं को भी 33% आरक्षण दिये जाने के उद्देश्य से 14वीं लोकसभा में 108वें संविधान संशोधन विधेयक ने देश के जनमत को फिर चैतन्य कर दिया था। महिलाओं को राजनीतिक सशक्तिकरण और लैंगिक असमानता दूर करने के उद्देश्य से राज्यसभा में रखा गया यह विधेयक इस क्षेत्र का कोई पहला प्रयास नहीं था बल्कि तत्कालीन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गाँधी के प्रधान मंत्रित्व काल में भी इस मोर्चे पर चिन्तन हुआ था।

III. महिला आरक्षण की त्रासदी

देश में आधी आबादी (महिलाएँ) पिछले एक दशक से अपना प्रतिनिधित्व बढ़ाने की माँग कर रही है लेकिन पुरुष प्रधान राजनीति संसद में महिला आरक्षण विधेयक पारित नहीं होने दे रही है। यह अप्रत्याशित और सुखद है कि 15वीं लोकसभा में उपेक्षित महिला वर्ग का प्रतिनिधित्व बढ़ा है यह पहला मौका है जब 58 महिलाएँ लोकसभा में पहुंची जो अब तक का सर्वाधिक आँकड़ा है। आज भी महिलाओं को संसद और विधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है । अन्तर संसदीय संघ (इंटर पार्लियामेन्ट यूनियन) के अनुसार विश्व भर की संसदों में सिर्फ 17-5% महिलाएँ हैं। 11 देशों की संसदों में तो एक भी महिला नहीं है और 60 देशों में 10% से कम महिला प्रतिनिधित्व हैं। अमेरिका और यूरोप में 20% महिला प्रतिनिधित्व है जबकि अफ्रीका एवं एशियाई देशों में 10-16% तथा अरब देशों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सिर्फ 9-6% हैं। संसद में महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के मामले में भारत दुनिया में 134 वें स्थान पर है।

IV. महिला आरक्षण क्यों ?

भारत में महिलाओं को सम्मान और समानता की विचारधारा उतनी ही सशक्त रही है जितनी कि इनके साथ असमानता की। समय बीतने के साथ पुरूष प्रधान समाज ने ना मालूम कैसे रवैये में परिवर्तन कर लिया और नारी भी इसकी आदी हो गयी। सती सावित्री, अहिल्या देवी, महारानी लक्ष्मी बाई, रानी दुर्गावती, अदिती पंत, बछेन्द्री पाल, किरण बेदी, कल्पना चावला भारतीय महिलाओं की रोल मॉडल हैं । वह कौन सा कार्य है जो प्रस्तावित 33 फीसदी वर्ग ने नहीं कर दिखाया है। पंचायती राज और स्थानीय निकाय संबंधी 73वें और 74वें संविधान संशोधन विधेयक के अधिनियमित होने के बाद तो महिलाओं की आवाज इस मुद्दे पर और सशक्त हो चुकी हैं। अतः महिलाओं को समाज में साहसी होना पड़ेगा, जोखिम उठाना पड़ेगा। आज महिलाओं को अच्छी महिला होने का प्रमाण पत्र लेने के लिए तमाम कष्ट उठाने पड़ते हैं। वे अपने समर्थन के सुरक्षा चक्र में घूमती रहती है। जाने कितनी रूढ़ियाँ उनके खिलाफ खड़ी हुई हैं जो पूर्णतः पुरुषवादी है।

V. महिला आरक्षण विधेयक सशक्तिकरण या छलावा

यदि कुछ संवैधानिक पदों को महिलाओं के लिए आरक्षित कर देने से वो सशक्त हो जाती तो पाकिस्तान सबसे सफल राष्ट्र होता। वहाँ की संसद में महिलाओं के लिए 22-5% सीटें आरक्षित है। 30% से अधिक महिला सांसद है पर अफसोस उसके सूखे हाल से सब वाकिफ है महिलाओं के परिवेश में कोई सराहनीय परिवर्तन उनकी शिक्षा और सुरक्षा में बुनियादी बदलाव लाने से होगा ना कि उन्हें संसद में बिठा देने मात्र से। फिर भी सब के सब जुटे हुए हैं आरक्षण की राजनीति खेलने में। सभी राष्ट्रीय पार्टियाँ और क्षेत्रीय दल लगे हैं अपने स्वार्थ साधने में।

आज भी ढेरों महिलायें सांसद हैं जो संसद की गरिमा को बढ़ा रहीं हैं। आरक्षण विधेयक को पेश करने के पीछे जो मुख्य उद्देश्य बताया गया वह है राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना। बेहतर ढंग से इस उद्देश्य की पूर्ति महिलाओं के लिए पार्टियों के अन्दर 33% टिकट आरक्षित करने से होती है लेकिन इस कदम से शायद पार्टियाँ कमजोर हो जाती अतः हमारे राजनीतिज्ञों ने फैसला लिया है कि संसद भले कमजोर हो जायें परन्तु पार्टियाँ कमजोर नहीं होनी चाहिए।

सरकार महिलाओं को संसद में आरक्षण देने से पहले पंचायतों और नगर निगमों में आरक्षण दे चुकी है। और हम सभी जानते हैं कि इस आरक्षण से कोई फायदा नहीं हुआ है। पंचायतों में सिर्फ महिलाओं की संख्या बढ़ी है। ज्यादातर महिलाओं को टिकट उनके कार्य या व्यक्तित्व के आधार पर नहीं बल्कि उनके परिवार जहाँ उनके पति, पिता या किसी अन्य पुरुष के आधार पर मिली है। ज्यादातर महिला सरपंच गृह कार्य ही कर रही है। और उनके स्थान पर उनके पति या दूसरे पुरुष ही कार्य कर रहे हैं। महिलाओं को आरक्षण मिलने से परिवारवाद बढ़ा है पिता और पुत्र के बाद अब बहू भी टिकट की दावेदार है। पंचायतों में परिवारवाद के बाद इन अच्छे परिणामों को देखते हुए ही हमारे नेता संसद और विधानसभाओं में भी इसे आजमाना चाहते हैं।

यदि आजादी के 76 साल बाद भी हम किसी भी प्रकार के आरक्षण की जरूरत महसूस करते हैं तो हमें ये सोचना होगा कि हमने पिछले 76 वर्षों में उस वर्ग के लिए क्या किया यदि हम 76 वर्षों में भी किसी वर्ग विशेष का भला नहीं कर पाये तो क्या गारण्टी है कि हम आरक्षण देकर महिला वर्ग का भला कर पायेंगे। हमें हमारी संसद में ऐसे लोग चाहिए जो स्वयं की इच्छा से और बिना किसी दबाव के समाज के लिए कार्य कर सके। हमें ऐसा नेता चाहिए जो नेतृत्व कर सके ताकि नाम के नेता आरक्षण से हमें बहुत से ऐसे नये नेता मिलेंगे जो अपने परिवार के नाम पर टिकट पाकर परिवार के नाम पर जीत कर हमारी संसद में पहुंचेंगे।

सत्ता में महिलाओं की भी भागीदारी होनी चाहिए लेकिन केवल उन्हीं महिलाओं को ये हक मिलना चाहिए जो इसके लायक हैं जबरदस्ती संख्या बढ़ने से सिर्फ राष्ट्र का नुकसान होगा और कुछ नहीं।

संयुक्त राष्ट्र संघ के सार्वभौमिक मानव अधिकार घोषणा पत्र के अनुसार स्त्रियों को भी वे सब अधिकार मिले हुए हैं जो पुरुषों के पास हैं लेकिन जब अधिकारों के हनन की बात आती है तो स्त्रियों को ही इसका शिकार बनना पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 1993 (वियना) और 1995 (बिजिंग) में हुए सम्मेलन में इस पर गंभीर चिन्तन के बाद प्रस्ताव पारित किया गया कि महिलायें भी मानवाधिकारों के घोषणापत्र की परिधि में अनिवार्य रूप से आती है अतः उनके अधिकारों को सुनिश्चित किया जाए। लेकिन इससे भी स्त्रियों की दशा में कोई लेकिन खास सुधार नहीं हुआ। बल्कि आज स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। प्रमुख साहित्यकार **आशारानी वोहरा** ने अपनी पुस्तक में स्त्रियों की भूमिका से सम्बन्धित कुछ संजीदे प्रश्न उठाए हैं– ''देश की आजादी के लिए साझी लड़ाई के बाद भारतीय स्त्रियों को प्राप्त समान संवैधानिक अधिकारों के बावजूद स्त्री शोषण क्यों बढ़ा है? राजनीति में बराबर के 50: अधिकार के बाद 33: आरक्षण की माँग क्यों उठ रही है? राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय महिला मंचों की आवाज आम स्त्रियों तक क्यों नहीं पहुँच पा रही है? अधिकार चेतना अधिक जागृत होने के बावजूद भी स्त्रियों को बराबर के अवसर व लाभ क्यों नहीं मिल पा रहे है?''

वर्तमान में इन सभी प्रश्नों के जवाब गम्भीरता व पूर्ण मनोयोग से ढूंढने होंगे अन्यथा महिला सशक्तिकरण बस एक कल्पना बन कर ही रह जायेगी।

आज महिला आन्दोलन के दौर में जहाँ एक ओर महिलाओं को अधिकाधिक अधिकार दिये जाने की कवायद चल रही है वहीं दूसरी ओर विश्व के सबसे अधिक अपराध व अत्याचार आधी आबादी के विरुद्ध ही हो रहे है। यह बहुत ही चिन्तनीय विषय है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ग, महिला सशक्तिकरण वर्ष, महिला दशक, अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च), अन्तर्राष्ट्रीय परिवार दिवस (15 मई), अन्तर्राष्ट्रीय महिला–हिंसा उन्मूलन दिवस (25 नवम्बर) इत्यादि प्रमुख दिवस मनाये जाते है। यह इस बात का सूचक है कि महिलाओं को मिलने वाले अधिकारों में कहीं न कहीं किसी स्तर पर अवरोध विद्यमान है। परन्तु ये सारे दिवस सरकारी आयोजन, भाषण, समारोह एवं सेमिनार आयोजित करने तक ही सीमित रह जाते हैं और महिलाओं की स्थिति यथावत रह जाती है। एक सुप्रसिद्ध लोकगीत के अनुसार–

''स्त्री धनी व्यापारी से नहीं, सुनार से नहीं बल्कि लुहार से विवाह करना चाहती है जो उसकी बेड़ियाँ गला दे।''

रमणिका गुप्ता के अनुसार, **''दरअसल स्त्री पैदा नहीं होती, पैदा होने के बाद वह स्त्री बनायी जाती है। पैदा तो वह मनुष्य रूप में ही होती हैं जो लिंग की भिन्नता रखती है। लेकिन इस लिंग की भिन्नता के साथ जो मातहती और मिलकियत की मानसिकता थोपी जाती है वह स्त्री और पुरुष बनाती है।''**

बड़ी विचित्र विडम्बना है कि संसद एवं विधान समाजों में महिला भागीदारी एक तिहाई करने का बिल 1998 से ही लंबित है जो पुरुष प्रधान समाज के अन्यायपूर्ण निर्णय का एक कटु प्रकरण है।

भारत में पिछले 76 वर्षों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के मजबूत होते जाने तथा महिलाओं में बढ़ रही चेतना के फलस्वरूप राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के प्रयत्न तो चलते रहे हैं किन्तु आधारभूत परिवर्तन सन् 1994 में संविधान में 73वाँ एवं 74वाँ संशोधन कर पंचायत

राज कानून लागू करने से आया है जिसमें पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद में एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किये गये हैं। राजस्थान में उक्त आरक्षण के आधार पर चुनाव हो रहे हैं कर्नाटक, पश्चिम बंगाल एवं केरल में ग्राम पंचायतों में एक तिहाई से भी अधिक महिलाये है किन्तु संसद और विधान सभाओं में महिलाओं की सदस्यता 10: के आस–पास है और एक तिहाई महिला सदस्यता बिल अभी भी लम्बित है।

भारतीय संविधान द्वारा लैंगिक समानता की घोषणा एक महान उपलब्धि है जो महिलाओं को बिना किसी उल्लेखनीय संघर्ष के मिली है परन्तु उस समानता को वास्तविकता में परिवर्तित करने के लिए संघर्ष की आवश्यकता है इसके लिए स्त्री उत्थान संगठनों और संस्थाओं को आगे आना चाहिए और केवल सम्मेलन करने, प्रस्ताव पास करने या ज्ञापन देने से ही संतुष्ट न होकर सक्रिय आन्दोलन का मार्ग भी अपनाना चाहिए ताकि न केवल अधिकांश महिलाओं तक अधिकारों का लाभ पहुँच सके अपितु अधिकांश अपने अधिकारों का उपयोग करने के योग्य बन सकें तभी सही मायने में महिला सशक्तिकरण एवं उनको मिलने वाले आरक्षणों एवं अधिकारों का ध्येय पूरा हो सकेगा।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. **वोहरा आशारानीः** स्त्री सरोकार, आर्य प्रकाशन मंडल, दिल्ली 2006 **पृष्ठ 13 ।**
2. **गुप्ता रमणिकाः** स्त्री विमर्श, कलम और कुदाल, शिल्पायन, **पृष्ठ 56 ।**
3. **बेदी किरणः** स्त्री शक्ति जैसा मैंने देखा, फ्यूजन बुक्स, नई दिल्ली, **पृष्ठ 26 ।**
4. **गोयल सुनीलः** भारतीय समाज में नारी, **पृष्ठ 157 ।**
5. दैनिक समाचार पत्र/नई दुनिया, दैनिक भास्कर पत्रिका, स्त्री के लिए जगह, सम्पादक **राजकिशोर, वाणी।**
6. **इण्टरनेट ।**
7. **स्वयं ।**